भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित** प्रश्‍न संख्‍या **533**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 14 दिसम्‍बर, 2018/23 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को राजसहायता प्रदान करने के लिए नई नीति**

**533. श्री राजमणि पटेल:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोई नीति तैयार की गई है जोकि किसानों को की गयी उर्वरकों की बि‍क्री की रसीद दिखाने की शर्त पर उर्वरक आपूर्ति करने वाली कंपनियों को राजसहायता प्रदान करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या यूआईडी परियोजना को इस नीति के साथ जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

 **उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क) और (ख):** उर्वरक विभाग ने मार्च, 2018 से सभी राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभग्राहियों को की गई वास्‍तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कम्‍पनियों को विभिन्‍न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जा रही है। कृषकों/क्रेताओं को राजसहायता प्राप्‍त सभी उर्वरकों की बिक्री प्रत्‍येक खुदरा बिक्री दुकान पर स्‍थापित प्‍वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्‍यम से की जाती है तथा लाभग्राहियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्‍यम से की जाती है। प्रत्‍येक बिक्री के उपरान्‍त पीओएस मशीन के माध्‍यम से रसीदें निकाली जाती हैं जिनमें उर्वरकों की दर तथा खरीदे गए उर्वरकों के लिए किसानों की ओर से सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता दर्शाई जाती है।

**(ग) से (ड.):** जी, हां। उर्वरक विभाग एयूए (अधिप्रमाणन प्रयोक्‍ता एजेंसी) के रूप में यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत है जिससे उर्वरक विभाग को उर्वरक खुदरा बिक्री केन्‍द्रों पर पीओएस मशीन सॉफ्टवेयर में प्रयोग की जाने वाली आधार आधारित अधिप्रमाणन कार्यप्रणाली का लाभ लेने में सुविधा मिलती है।

\*\*\*\*\*\*\*